पत्र संख्या– 3/एम०–45/20111 2671/

बिहार सरकार
सामान्य प्रशासन विभाग

प्रेषक,

नवीन चन्द्र झा,
सरकार के संयुक्त सचिव।

सेवा में,

सरकार के सभी प्रधान सचिव/सचिव।
सभी विभागाध्यक्ष।
सभी प्रमंडलीय आयुक्त।
सभी जिला पदाधिकारी

पटना–15, दिनांक 24 अगस्त, 2011

विषय– सरकारी सेवकों की प्रोन्नतियों पर विचार करते समय विभागीय प्रोन्नति समितियों द्वारा वार्षिक गोपनीय अभ्युक्तियों का वर्गीकरण (बेंचमार्क) के अनुसार विचारण।

महाशय,

निदेशानुसार उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि सामान्य प्रशासन विभाग के परिपत्र संख्या– 922 दिनांक 30.03.2011 द्वारा चारित्री/कार्य–मूल्यांकन प्रतिवेदन के आधार पर किसी सरकारी सेवक की प्रोन्नति के लिए चारित्री/कार्य–मूल्यांकन का वर्गीकरण किया गया है, जिसका स्पष्टीकरण पत्रांक– 1605 दिनांक 24.05.2011 द्वार जारी किया जा चुका है।

कार्य–मूल्यांकन प्रतिवेदन (पी०ए०आर०) पद्धति बिहार प्रशासनिक सेवा के पदाधिकारियों के लिए लागू है जिसे आगामी वित्तीय वर्ष से अन्य प्रीमियर सेवाओं/राज्य सेवाओं में भी लागू किया जाना है। अतः उपर्युक्त परिपत्रों के क्रम में कार्य–मूल्यांकन प्रतिवेदन (पी० ए०आर०) हेतु वर्गीकृत अभ्युक्ति के लिए निम्न रूप से अंक निर्धारित किया जाता है।–

अभ्युक्ति	अंक
(क) उत्कृष्ट	जिन सरकारी सेवकों का ग्रेडिंग 8 से 10 अंकों तक किया जायेगा, उन्हें 'उत्कृष्ट' कोटि में रखा जायेगा और पैनेल निर्माण/ प्रोन्नति के लिए औसत अंक परिगणित किये जाने हेतु उन्हें 9 अक दिये जायेंगे।
(ख) बहुत अच्छा	जिन सरकारी सेवकों का ग्रेडिंग 06 से 08{08 से कम} अंकों तक किया जायेगा, उन्हें 'बहुत अच्छा' कोटि में रखा जायेगा और पैनेल निर्माण/ प्रोन्नति के लिए औसत अंक परिगणित किये जाने हेतु उन्हें 07 अंक दिये जायेंगे।
(ग) अच्छा	जिन सरकारी सेवकों का ग्रेडिंग 04 से 06{06 से कम} अंकों तक किया जायेगा, उन्हें 'अच्छा' कोटि में रखा जायेगा और पैनेल निर्माण/ प्रोन्नति के लिए औसत अंक परिगणित किये जाने हेतु उन्हें 5 अंक दिये जायेंगे।

D:\\ section officer-3\banch marking 28-06-2011

(घ) औसत

जिन सरकारी सेवकों का ग्रेडिंग 04 अंक से नीचे किया जायेगा, उन्हें 'औसत' कोटि में रखा जायेगा और पैनेल निर्माण / प्रोन्नति के लिए औसत अंक परिगणित किये जाने हेतु उन्हें शून्य(00) अंक दिया जायेगा।

(ङ) प्रतिकूल

प्रतिकूल अभ्युक्ति की स्थिति में कोई ग्रेडिंग नहीं की जायेगी।

विश्वासभाजन

24.8.11

(नवीन चन्द्र झा)

सरकार के संयुक्त सचिव

D:\ section officer-3\banch marking 28-06-2011